Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रभाव का अध्ययन

कुलदीप* डॉ. महेश कुमार तिवारी**

* शोधार्थी (शिक्षा) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** प्राचार्य, मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है, उसी प्राकर दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति की भांति समाज भी शिक्षा के चमत्कार से लाभान्वित होता है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढी के बालकों को उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षओं, विश्वासों तथा परम्पराओं आदि सांस्कृतिक सम्पत्ति को इस प्रकार से हस्तान्तरित करता है कि उनके हृदय में देश-प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्जवलित हो जाता है। जब ऐसी भावनाओं तथा आदर्शों से भरे हुए बालक तैयार होकर समाज अथवा देश की सेवा व्रत धारण करके मैदान में निकलेंगे तो समाज भी निरन्तर उन्नति के शिखर पर चढता ही रहेगा। इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज दोनों के विकास में शिक्षा परम् आवश्यक है।

जहां एक ओर शिक्षा व्यकित का सर्वांगीण विकास करता है वहीं दूसरी ओर वातावरण के साथ समायोजन करने तथा आवश्यकताओं में परिवर्तन करते हुए भौतिक सम्पन्नता को प्राप्त करके चरित्रवान, बुद्धिमान, वीर तथा साहसी और एक उत्ताम नागरिक के रूप में आत्म निर्भर बनकर अपना और अपने समाज व राष्ट्र का विकास कर सकें।

शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाने का तात्पर्य है, बालिकाओं को पूरी तरह से औपचारिक शिक्षा और उचित कौशल प्रदान करने में सक्षम हो, ताकि उन्हें रोजगार व जीवन के सभी प्रतिस्पर्धाओं में पुरूषों के समान आगे आ सके।

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा और सांस्कृतिक संगठन और महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास का मानना है कि शिक्षा के द्वारा महिलाओं को सभी क्षेत्रों में ओग लाने की आवश्यकता है।

महिलाएं जो समाज में अपनी शक्ति को उजागर नहीं कर पाती, उनमें आत्मनिर्भरता की कमी होती है तथा आत्मविश्वास कम होता है, क्योंकि वह पूरी तरह स्वावलम्बी होती है। अपने परविार पर उनके पास अवसरों की कमी, साधनों की कमी के कारण अपना विकास नहीं कर पाती है। पूरे देश में महिलाओं में जागरूकता और सम्मान लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिकाओं दिवस, जो 24 सितम्बर को मनाया जाता है, जिसे पूरे देश में व्यवसायों, समुदायों समूहों के कार्यक्रमों और नीतियों को अपनाकर महिलाएं सशक्तिकरण की धारणा को अपनाए, जिससे देश का विकास व लाभ प्राप्त किया जा सके।

अध्ययन का औचित्य – हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों के मूल अधिकार को स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार एक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का है। अत: भारत की पहचान उसकी संस्कृति से की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 51 के अनुसार ही अभिभावकों का भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें।

अक्सर ये देखा जाता है कि समाज या समूहों के सदस्यों द्वारा बनाये गये नियमों, कानूनों, भेदवभाव जातियता, धर्म, लिंग आदि के द्वारा ही महिलाएं अपनी शक्ति को उजागर नहीं कर पाती है। इसके साथ-साथ हमारा समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है, एक गरीब तो दूसरा अमीर। इस वर्ग विभिन्नता के कारण भी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों की महिलाएं अपने आप को सशक्त नहीं बना पाती। उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना कम होती है, वह चाहकर भी समाज और परिवार के सदस्यों के बीच अपने अधिकारों को उजागर कर पाने में असमर्थ होती है।

पूर्व शोध से यह ज्ञात होता है कि वसिम सय्यद, ए. अशराक और अहमद अय्याज (2012) ने अपने जीवन इतिहास में यह निष्कर्ष निकाला कि मुस्लिम महिलाओं घरेलु महिला बनके रहना चाहती है। बजाए खेती और मजदूरी करने के, मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है और उनकी सलाह व मशवरा को नजर अंदाज किया जाता है।

मुखोपाध्याय हेमन्ती (2008) ने अपने शोध में यह निष्कर्ष निकाला कि मुस्लिम महिलाओं का समाज में तथा परिवार में विभेदीकरण किया जाता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह संबंध, घरेलू अत्याचार, नैतिकता, यौन प्रताडना आदि में समाज के द्वारा दोहरी मानसिकता रखी जाती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी समाजों द्वारा महिलाओं और पुरूषों को समतुल्य माना जाता है। पूरे परिवार का कर्णधार तो महिलाएं होती है और उन्हें यदि स्वतंत्र, अधिकार विहिन, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान नहीं दी जाए तो वह अपना और अपने परिवार का विकास नहीं कर पायेगी। मुस्लिम समाज में यह अंतर पाया जाता है, जो मुस्लिम समाज के पिछडने का मुख्य कारण यही है। अत: जब हमारा भारतीय संविधान महिलाओं तथा पुरूषों को समान अधिकार दे रही है तो मुस्लिम समाज भी अपनी रूढिवादी परम्पराओं को तोडकर एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो, महिलाओं और पुरूषों की भांति आगे आये और अपनी आंतरिक शक्तियों को समाज में प्रकट करें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही शोधकर्ता द्वारा इस विषय को चुना गया ताकि समाज को एक नई दिशा प्रदान की जा

सके।

समस्या कथन – मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रभाव का अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के सहसंबंध का अध्ययन करना।
2. मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. मुस्लिम किशोरियों में समायोजन (उच्च तथा निम्न), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना :

1. मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सहसंबंध नहीं पाया जाता है।
2. मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
3. मुस्लिम किशोरियों में समायोजन (उच्च तथा निम्न), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया जाता है।

अध्ययन का परिसीमान:

1. क्षेत्र – अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा गंगानगर क्षेत्र को लिया गया है।
2. बालिकाएं – अध्ययन हेतु गंगानगर के ग्रामीण व शहरी मुस्लिम किशोरियों को लिया गया है।
3. स्तर – अध्ययन के लिए 10वीं से 12वीं स्तर के ग्रामीण व शहरी मुस्लिम किशोरियों को लिया गया है।
4. शोध विधि
5. शोध अध्ययन में सर्वेक्षविधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या व न्यादर्श – सशक्तिकरण के अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा 600 मुस्लिम किशोरियों को लिया गया है, जिसमें 300 ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम किशोरियों तथा 300 शहरी क्षेत्र के मुस्लिम किशोरियों का चयन किया गयाहै।

चर :

1. स्वतंत्र चर – सशक्तिकरण
2. आश्रित चर – समायोजन

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण:

1. समायोजन परीक्षण – डॉ. ए.के. सिंह एवं डॉ आर.पी.सिंह
2. किशोरी बालिका सशक्तिकरण परीक्षण – डॉ. देवेन्द्र सिंह सिश्शोधिया एवं अल्पना सिंह

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि :

1. सहसम्बन्ध
2. टी– टेस्ट
3. एनोवा

निष्कर्ष एवं सुझाव :

1. मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशकित्करण के मध्य सहसंबंध पाया गया।
2. मुस्लिम किशोरियों के समयोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तिव के मध्य सार्थक अंतर है।
3. मुस्लिम किशोरियों के समयोजन पर बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भता के मध्य सार्थक अंतर है।
4. मुस्लिम किशोरियों के समयोजन पर बालिका सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया के मध्य सार्थक अंतर है।
5. मुस्लिम किशोरियों के समयोजन पर बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी के मध्य सार्थक अंतर है।
6. मुस्लिम किशोरियों के समयोजन पर बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास के मध्य सार्थक अंतर है।
7. मुस्लिम किशोरियों के समयोजन पर बालिका सशक्तिकरण के के षष्ठम् आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्य सार्थक अंतर है।
8. मुस्लिम किशोरियों के समयोजन पर बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता के मध्य सार्थक अंतर नहीं है।
9. मुस्लिम किशोरियों के समयोजन (उच्च तथा निम्न) पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है।

सुझाव :

1. महिला प्रतिनिधित्व को एकत्रित होकर इन संस्थाओं में काम करना चाहिए। इन महलाओं से संबंधित मुद्दों पर मतभेद भुलाकर काम करना होगा। उन्हें लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रुण हत्या, घरेलु हिंसा एवं बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए।
2. निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं एवं पुरूषों की संतुलित भागिदारी के लिए आम राय बनाने हेतु जन–अभियान चलाया जाना चाहिए।
3. महलाओं का विश्व के अन्य देशों के साथ दल बनाने चाहिए ताकि ये विभिन्न स्तरों पर सहभागिता दे सकें।
4. महिलाओं को संगठित होकर विभिन्न स्तरों पर अपने नेटवर्क स्थापित करने चाहिए ताकि निर्णय, निर्माण एवं क्रियान्वयन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकें।
5. महिलाओं को व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं वर्तमान स्थितियों को बदलकर संसाधनों एवं सत्ता के प्रयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण को शीघ्र से संभव बना सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अखण्ड ज्योति, जनवरी (2004), बुद्धि को प्रखर बनाने के कुछ साधन 25–26
2. आर्य हरफूल (2000) रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 96
3. भटनागर, सुरेश (1996) शैक्षिक प्रबन्ध और शिक्षा की समस्याएं, मेरठ, सूर्या पब्लिकेशन 440,
4. भारती शिक्षा शोध पत्रिका, वर्ष 29, जुलाई–दिसम्बर, 2.1. पृ 69–72
5. Indian Journal of Education Research, Vol-28 No. 1 Jan-June 2009pp 111-114
6. Journal of Educational Studies, Education Department, University of Allahabad, Vol-8, No-1 2010 pp-20-26
7. शर्मा, रमा (2009) पी–एच.डी. उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर।